

1923 पत्रावली प्रेषण इकाई अपीलार के अधिवक्ता  
 उपस्थित नहीं हुए। 22वें, अधिवक्ता उपस्थित,  
 अपीलार के अधिवक्ता की आज्ञा बहाल हेतु  
 उपस्थित होर बालन कई बार आवेदि लावाई  
 गई। परन्तु लावतूक सूत्राके उपस्थित नहीं हुए  
 एवं न ही अपीलार की ओर से उपस्थित नहीं  
 हुआ है। वेचें से अपीलार की ओर विचारार्थ 2201  
 आज्ञा उचित नहीं होता है। अतः अपीलार पत्रावली  
 अपीलार अधिवक्ता की अपाए हामी/अपानेरी  
 से उचित न की गयी है। पत्रावली वाप विचारार्थ  
 रखर के का की गयी अधिवक्ता न्यायालय का  
 रेकॉर्ड में रखा जावे।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त  
 जोधपुर